राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की द्वितीय बैठक का कार्यवाही विवरण

(दिनांक 2 जुलाई, 2011)

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की द्वितीय बैठक का आयोजन दिनांक 2 जुलाई, 2011 को पशु प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग के कान्फ्रेंस हॉल मे माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) कर्नल ए.के.गहलोत की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के आरम्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों का परिचय करवाया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बैठक में प्रथम बार उपस्थित माननीय उनियारा–देवली विधायक श्री राम नारायण मीणा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त श्री सूरज मल मीणा, प्रमुख शासन सचिव (पशुपालन) के प्रतिनिधि संयुक्त निदेशक (पशुपालन) बीकानेर रेंज डॉ. एन. एम. सिंह, विशेष आमंत्रित प्रतिभागी वित्तनियंत्रक श्री वाई. के. सिंह का विशेष रूप से स्वागत कर आशा व्यक्त की कि सभी सदस्यों का योगदान से विश्वविद्यालय का हित साधन होगा। बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों की सूचि परिशिष्ट "अ" में संलग्न है। अपनी पूर्वनिर्धारित व्यस्तता के कारण प्रो. के.एम.एल. पाठक–उपमहानिदेशक (पशुविज्ञान), भाकृअप, प्रो. एस. एन. मौर्या, श्री ओ. पी. मीणा – एम. डी. – आरसीडीएफ, डा. राजेश शर्मा – निदेशक (पशुपालन), श्री मनोज शर्मा – निदेशक (मतस्य) बैठक में उपस्थित नहीं हो सके । तत्पश्चात् सदस्य सचिव एवं रजिस्ट्रार श्री एस.एस.पंवार ने बैठक की विधिवत् कार्यवाही कार्यसूची के अनुरूप प्रारम्भ की गई।

एजेण्डा– 02/ए : प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 8.4.2011 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन

निर्णय– अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को संक्षेप में प्रबंध मण्डल की प्रथम बैठक के सभी निर्णयों से अवगत करवाया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि गत बैठक के संबंध में नियत 15 दिवस

की अवधि में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः सदन ने गत बैठक की कार्यवाही विवरण का यथार्थ ही अनुमोदन किया।

एजेण्डा– **02/बी : गत बैठक की कार्यवाही की पालना रिपोर्ट का अनुमोदन**

निर्णय– कुलसचिव, श्री एस.एस. पंवार द्वारा पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार की गई बिन्दुवार पालना रिपोर्ट को सदन से अवगत करवाया गया।

सदन ने निर्णयों की पालना पर संतोष व्यक्त करते हुए पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया।

एजेण्डा– 02/सी : शैक्षणिक परिषद् की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन

निर्णय – अध्यक्ष महोदय द्वारा शैक्षणिक परिषद् की दिनांक 28.5.2011 को हुई बैठक की कार्यवाही विवरण पर विस्तार से प्रकाश डाला गया तथा सदन को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु कृतसंकल्प है तथा इस बाबत् प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होनें सदन को यह भी बताया कि सम्बद्ध महाविद्यालयों के संबंध में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् एवं भारत सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा उठाये जाने वाले अपेक्षित कदमों की ओर उनके स्वयं द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र भेजे गये हैं जिसमें दोनों द्वारा त्वरित कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। इस बाबत् माननीय कुलाधिपति महोदय, मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव (पशुपालन) को भी विस्तृत विवरण सहित वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। सदन ने आशा व्यक्त की कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद एवं भारत सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही कर समस्याओं का निराकरण किया जायेगा।

सदन ने शैक्षणिक परिषद् की कार्यवाही का औपचारिक अनुमोदन किया।

एजेण्डा– 02/डी : अनुसंधान परिषद् की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन

निर्णय– कुलसचिव श्री एस.एस. पंवार ने अनुसंधान परिषद् की दिनांक 24.5.2011 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण को सदन पटल पर रखा। सदन द्वारा कार्यवाही विवरण का औपचारिक अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा– 02/इ : विस्तार शिक्षा परिषद् बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन

निर्णय– कुलसचिव श्री एस.एस. पंवार ने विस्तार शिक्षा परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 24.5.2011 का कार्यवाही सदन पटल पर रखा एवं इस बाबत् अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों को विस्तार से अवगत करवाया।

सदन द्वारा कार्यवाही विवरण का औपचारिक अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा– 02/एफ : विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन

निर्णय– कुलसचिव श्री एस.एस. पंवार द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेशों के विस्तृत परिपेक्ष्य से सदन को अवगत करवाया गया।

सदन द्वारा सभी आदेशों का औपचारिक अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा– 02/जी : विश्वविद्यालय की स्टाफ पोजिशन का अनुमोदन

निर्णय– कुलसचिव श्री एस.एस. पंवार द्वारा विश्वविद्यालय के एक्ट की धारा 50 के अनुसरण में विश्वविद्यालय में समाहित सभी इकाईयों के कुल स्वीकृत पदों, उन पर कार्यरत् कार्मिकों तथा रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की। इन सभी पदों के अनुरूप राज्य सरकार के योजना एवं वित्त विभाग द्वारा वेतन भत्तों आदि को पूर्व में ही स्वीकृत किया जा चुका है। इन सभी पदों को विश्वविद्यालय में औपचारिक आदेश द्वारा चिन्हित करना संस्थापन कार्यों यथा वर्गीकरण, पदोन्नति, स्थानान्तरण, वेतनवृद्धि, कोर्ट केसेज, पेंशन आदि हेतु नितांत आवश्यक है क्योंकि विश्वविद्यालय के एक्ट की धारा 50 के अनुसरण में ये सभी कार्मिक उन्हीं शर्तों एवं निबंधनों के अध्यधीन

Registrar
Action
(handwritten margin note)

इस विश्वविद्यालय में दिनांक 13 मई, 2010 से ही समाहित हो चुके हैं।

सदन द्वारा विश्वविद्यालय में समाहित सभी इकाईयों के कुल स्वीकृत पदों, उन पर कार्यरत कार्मिकों तथा रिक्त पदों सहित सभी पदों का औपचारिक अनुमोदन किया गया ताकि विश्वविद्यालय तत्संबंधी आगे की कार्यवाही कर सके।

एजेण्डा– 02/एच. : डॉ. अनिल आहूजा, एसोसियेट प्रोफेसर को सलेक्शन स्केल दि. 27.7.1998 से या उनकी योग्यता की तारीख से देने के संबंध में

निर्णय– कुलसचिव श्री एस.एस. पंवार द्वारा विस्तार से डॉ. आहूजा के केस को सदन पटल पर रखा एवं समझाया।

Registrar – Rajkumar Bareek

राज्य सरकार की स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय में वरिष्ठ को कनिष्ठ से कम वेतन संबंधी प्रकरणों पर टिप्पणि, अन्य विश्वविद्यालयों में जारी आदेशों, तथा इस प्रकार के प्रकरणों बाबत माननीय न्यायालय(यों) द्वारा समय समय पर दिये गये फैसलों के मद्धेनजर सदन द्वारा प्रस्ताव को पारित किया गया।

एजेण्डा– 02/आई : वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन

निर्णय– कुलसचिव श्री एस.एस. पंवार द्वारा वित्त समिति की प्रथम बैठक, जो दिनांक 30.6.2011 को संपन्न हुई, का कार्यवाही विवरण सदन पटल पर रखा एवं विशेष आमंत्रित प्रतिभागी. वित्तनियंत्रक श्री वाई. के. सिंह ने इस बाबत विस्तार से जानकारी दी।

Comptroller

सदन द्वारा कार्यवाही विवरण का अनुमोदन इस आशय के साथ किया गया कि विश्वविद्यालय फार्मों आदि से अधिकाधिक आय प्राप्त करने, खर्चों में मितव्ययता, अनावश्यक खर्चों में कटौती, वित्तीय

अनुशासन एवं अन्य एजेंसियों से अधिकाधिक प्रोजेक्ट लाने के प्रभावी उपाय भी करेगा।

<u>माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन पटल पर रखे गये एजेन्डा</u>

एजेण्डा– 02/जे/01: जनरल मैनेजर, एफ.ओ.ए.एच., आर.सी.डी.एफ. द्वारा निम्न एजेण्डा प्रेषित किया गया –

"Establishment of facilities for testing of raw materials and finished cattle feed at animal nutrition laboratory of Veterinary Colleges of Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner"

निर्णय– कुलसचिव श्री एस.एस. पंवार ने बताया कि यद्यपि इस एजेण्डा में एक्सप्लेनेटरी नोट नही था फिर भी इस विषय पर माननीय कुलपति महोदय से पूर्व में आर.सी.डी.एफ. के अधिकारियों से हुई चर्चा के अनुरूप सदन को एजेंडा के उद्धेश्यों से अवगत करवाया। सदन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आर.सी.डी.एफ. से यह जानकारी ली जाये कि वे किस–किस प्रकार की जाँच सुविधाएं चाहते है क्योंकि फीड एनेलेसिस की सभी सुविधाएं बीकानेर स्थित वेटरनरी कॉलेज में तथा जयपुर स्थित विश्वविद्यालय की ही इकाई पी.जी.ई.आर.सी.एल.एच.पी. में उपलब्ध है। यदि किसी अन्य प्रकार की जाँचों की आवश्यकता हो तो तदनुसार सुविधाएं आर.सी.डी.एफ./राज्य सरकार के सहयोग से सृजित की जा सकती हैं।

एजेण्डा– 02/जे/02 : **To consider order dated 10.3.2011 regarding decision of land and staff of Vallabhnagar campus and request of the Dean, CVAS, Navania, Vallabhnagar to adjust employees willing to remain with the university on available vacant positions.**

निर्णय– सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के साथ ही यह भी अनुमोदित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस आदेश से हो रही कठिनाई बाबत् राज्य सरकार को पुनरीक्षण हेतु निवेदन किया जाए । Registrar

एजेण्डा– 02/जे/03: **To approve the rates of serving lunch/dinner/tea/ snacks etc. during the meetings of BOM/AC/COD/FC etc.**

निर्णय– सदन द्वारा उक्त एजेण्डा का औपचारिक अनुमोदन इस आशय के साथ किया गया कि ये दरें सभी औपचारिक बैठकों हेतु लागू की जाएं ताकि इस प्रकार के व्ययों में एकरूपता तथा मितव्ययता लायी जा सके। इस हेतु स्वीकृति के लिए केवल वित्तनियंत्रक ही सक्षम अधिकारी होंगे एवं बिना सक्षम स्वीकृति के किये गये खर्च अमान्य होंगे। Comptroller

एजेण्डा– 02/जे/04 : शैक्षणैत्तर कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने हेतु उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक का कार्यवाही विवरण

निर्णय– राज्य सरकार के कार्मिकों के संबंध में जारी आदेशों, तथा इस प्रकार के प्रकरणों बाबत माननीय न्यायालय(यों) द्वारा समय समय पर दिये गये फैसलों अथवा लंबित प्रकरणों के अनुरूप शैक्षणैत्तर कर्मचारियों की सेवाओं की कठिनाइयों के निराकरण हेतु दिनांक 14.1.2011 के आदेश द्वारा गठित हाईपावर कमेटी की बैठक के कार्यवाही विवरण को कुलसचिव श्री एस.एस. पंवार द्वारा सदन पटल पर रखा गया। Registrar Estt.

सदन द्वारा एजेण्डा–02/जी के अंतर्गत लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में उक्त कार्यवाही विवरण के अनुरूप की गयी सिफारिशों का अनुमोदन किया ।

एजेण्डा— 02/जे/05 :

उनियारा, देवली विधायक श्री राम नारायण मीणा ने यह सलाह दी कि नवगठित वेटरनरी विश्वविद्यालय को देशी नस्लों की गायों की उत्पादकता बढ़ाने तथा चारागाह विकास की ऐसी योजनाएं बनाने पर जोर देना चाहिए जिससे किसानों व पशुपालकों को सीधा लाभ प्राप्त हो सके। उन्होने इस बात पर जोर दिया कि गौ आधारित ग्राम स्वावलंबन को पुनःस्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होने ग्रामीण आंचल में गाय की जगह भैंस पालन के बढते रूझान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि वैज्ञानिक उच्च उत्पादन क्षमता वाली देशी नस्लों की गायों का विकास करते हैं तो इस रूझान को रोका जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय द्वारा इस दिशा में किये जा रहे कार्यों का विस्तृत विवरण दिया।

Dean - B.R.

एजेण्डा— 02/जे/06 : संभागीय आयुक्त श्री सुरज मल मीणा ने कहा कि ऐसे कृषि विज्ञान केन्द्र जो दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के पास हैं परन्तु कृषि क्षेत्र में जिले की स्थिति के अनुसार अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहे हैं उन्हे वेटरनरी विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय द्वारा इस दिशा में किये जा रहे कार्यों का विस्तृत विवरण दिया। विश्वविद्यालय द्वारा तीन नये कृषि विज्ञान केंन्द्र बीकानेर, हनुमानगढ तथा जैसलमेर जिलों हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली को प्रेषित किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 12 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक जिले में दो–दो कृषि विज्ञान केन्द्र आइ.सी.ए.आर. द्वारा खोले जाने की योजना है। सदन द्वारा इनमें से प्रत्येक जिले मे एक केवीके पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान हेतु खोले जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि नव स्थापित केरल वेटरनरी विश्वविद्यालय को केन्द्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रू. का विशेष राहत पैकेज दिया गया है। इसी तर्ज पर

विश्वविद्यालय द्वारा 168 करोड़ रू. का प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भेजे जाने को बोम में सहमति प्रदान की गई।

एजेण्डा– 02/जे/07 : श्री विजय सिंह लायल ने निजी क्षेत्र में खुले महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु वेटरनरी विश्वविद्यालय को प्रभावी निगरानी करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कृतसंकल्प है।

एजेण्डा– 02/जे/08 : श्रीमति कृष्णा सोलंकी द्वारा सुझाव दिया गया कि बोम सदस्यों को अपने निकटतम क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय के सम्बद्ध व संघटक महाविद्यालय, डिप्लोमा संस्थाओं व अनुसंधान केन्द्रों का निरीक्षण कर विश्वविद्यालय को अवगत कराना चाहिए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने उनके सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि वे इन केन्द्रों की वस्तुस्थिति का अवलोकन कर अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर सके।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ संपन्न हुई।

कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव

संलग्न– परिशिष्ट–अ

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमांकः एफ. 2 ( )/मीटिंग/राजूवास/2011/515 दिनांकः 02.07.2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. वित्त नियंत्रक, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. सभी माननीय सदस्यगण

कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव

परिशिष्ट– अ

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

List of Participants of the 2nd Meeting members of the Board of Management held on 2.7.2011

1.	Prof. A.K. Gahlot, Hon'ble Vice-Chancellor	In Chair
2.	Sh. Ram Naraian Meena, MLA	
3.	Sh. Surajmal Meena, IAS, Representative of ACS, Finance, GOR	
4.	Sh. N.V. Patil, Director, NRCC, Jorbeer, Bikaner	
5.	Sh. Vijay Singh Loyal	
6.	Smt. Krishna Solanki	
7.	Sh. Prabhu Ram Poshak	
8.	Dr. S.B.S. Yadav	
9.	Dr. R.K. Tanwar	
10.	Dr. N.M. Singh, Representative of Principal Secretary, AH and Director, AH, GOR	
11.	Sh. Y.K. Singh, Comptroller, RAJUVAS	Special Invitee
12.	Sh. S.S. Pawar, Registrar, RAJUVAS	Member Secretary